369

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्र0क0 /निगरानी–4849/2018/छतरपुर/भू.रा. सन 2018

चन्द्रसिंह चौरसिया तनय शिवसिंह चौरसिया
आयु 65 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 9 जमीदारी
मुहाल महाराजपुर तहसील महाराजपुर जिला
छतरपुर म0प्र0...निगरानीकर्ता

बनाम

संतोषसिंह चौरसिया तनय हीरासिंह चौरसिया
निवासी वार्ड क्रमांक 9 जमीदारी मुहाल
महाराजपुर तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर म0प्र0.......................गैरनिगरानीकर्ता

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एड. द्वारा आज दि. 06.8.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 30.8.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6.8.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता निगरानी विरूद्ध श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर म0प्र0. के प्रकरण कमांक 210/अ12/2017–2018 मै पारित आदेश दिनांक 15/6/2018 से दुखित हो कर.

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित विनय कर न्याय हेतु श्रीमान के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करता है :–

(1)........यह कि भूमि खसरा क्रमांक 3057 निगरानीकर्ता के स्वत्व एंव अधिपत्य की भूमि के पडोसी कृषक गैरनिगरानीकर्ता की भूमि खसरा कमांक 3037 रकवा 0.729 हैक्टैयर मौजा महाराजपुर (जोत) का सीमांकन दिनांक 9/6/2018 को राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी से दुरभ संधि करके अबैधानिक सीमांकन कराया गया है और इस सीमांकन मै निगरानीकर्ता ने दिनांक 11/6/2018 को श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष आपत्ती प्रस्तुत की थी जिस पर बगैर साक्ष्य कराये एंव पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक के कथन लिये बगैर बैधानिक प्रकिया को एकताक मै रख कर मनमर्जी का आदेश दिनांक 15/6/2018 को सीमांकन स्वीकृत किया गया है और आकृत्य आदेश पारित किया गया है जिससे दुखित होकर सुदृण आधारो पर न्याय हेतु श्रीमान के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की है ।

निगरानी के आधार

(2).......यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया को एकताक मै रख कर आकृत्य आदेश दिनांक 15/6/2018 को पारित करने मै कानूनी एंव न्यायिक भारी भूल की है जिससे सीमांकन आदेश दिनांक 15/6/2018 निरस्त किये जाने योग्य है

..................2

लल्ला चन्द्रसिंह चौ.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—4849 / 2018 / छतरपुर / भू.रा.

चन्द्रसिंह चौरसिया विरूद्ध संतोष सिंह चौरसिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28—02—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। 3. आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार महाराजपुर जिला—छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 210 / अ—12 / 2017—18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 15—06—2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 25—04—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 28/2/2019	